बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, विभाग
अधिसूचना

संख्या–वन अरा०स्था०–25 / 2014   / प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन, विभाग में अमीन संवर्ग की भर्त्ती एवं अन्य सेवा–शर्त्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली **''बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, अमीन संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2020''** कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो,

   (I) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (II) **''संवर्ग''** से अभिप्रेत है बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग अमीन संवर्ग;

   (III) **''नियुक्ति प्राधिकार''** से अभिप्रेत है मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना;

   (IV) **''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार''** से अभिप्रेत है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना;

   (V) **''विभाग''**से अभिप्रेत है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार;

   (VI) **''परीक्षा प्राधिकार से अभिप्रेत है''** बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् (BCECEB) अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा इस निमित्त चयनित अन्य प्राधिकार;

   (VII) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रील से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि;

   (VIII) **''वर्ष के अन्दर रिक्ति''** से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति।

3. **संवर्ग का गठन।**– अमीन संवर्ग का गठन निम्नानुसार होगी :–

क्र०	कोटि का नाम	स्तर
1	2	3
(क)	अमीन (अराजपत्रित)	मूल कोटि
(ख)	परिमापक (अराजपत्रित)	प्रोन्नति स्तर

(1) उक्त पदों का वेतनमान एवं ग्रेड–पे/वेतन स्तर वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाय।

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व उक्त कोटि में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

(3) स्वीकृत बलों की संख्या राज्य सरकार समय–समय पर घटा या बढ़ा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थागितावस्था में रख सकेगी।

4. **उम्र – सीमा।** – अमीन के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत की जाय।

5. **आरक्षण।** – इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

6. **नियुक्ति।** – (1) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति, परीक्षा प्राधिकार द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर, घोषित परीक्षाफल के अनुसार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(2) (क) अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से इन्टरमिडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को, उनके अनुभव के आधार पर अंक दिये जायेगे। अनुभव के लिए अधिकत्तम अंक 25 होंगे तथा प्रति वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिये जायेंगे।

परन्तु यह कि अनुभव की गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार की जायेगी एवं 1 (एक) कैलेण्डर वर्ष में 6 माह से अधिक के अनुभव को 1 (एक) वर्ष एवं 6 (छः) माह से कम अनुभव को शून्य वर्ष माना जायेगा।

(3) अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का लघु सूचीकरण (Short-Listing) अभ्यर्थियों के इण्टरमिडिएट एवं इण्टरमिडिएट समकक्ष परीक्षा में प्राप्त

अंकों तथा राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों का उनके अनुभव के आधार पर विभाग / परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा, जो कुल रिक्ति के 10 गुणा से कम नहीं होगा।

7. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम।** – अमीन के पदों पर चयन हेतु प्राधिकृत परीक्षा प्राधिकार द्वारा 75 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित दो भाग होंगे।

(i) प्रथम खण्ड।– सामान्य ज्ञान, समसाययिक घटना, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिन्दी– 50 अंक

(ii) द्वितीय खण्ड ।– सामान्य गणित–25 अंक''

8. **परिवीक्षा अवधि।–**

(i) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि यह प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है। बढ़ायी गई अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोष जनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।** – अमीनों को समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।** – अमीनों की विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण तथा परीक्षा का आयोजन केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

11. **सम्पुष्टि।** – परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(i) यदि सरकार कोई विभागीय परीक्षा विहित की गयी हो तो वह अवश्य उत्तीर्ण हो चुका हो;

(ii) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो;

(iii) इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

12. **वरीयता।** – इस संवर्ग के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण आयोग से प्राप्त मेधा सूची के क्रमानुसार किया जाएगा तथा यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, नियत सिद्धांतों एवं प्रक्रिया तथा नियुक्ति प्राधिकार के अधीन रहते हुए होगी।

13. **प्रकीर्ण। – (स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण) –**

(i) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य, मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन होंगे।

(ii) इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा–सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी विषय यथा स्थिति मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास, बिहार के अधीन होंगे।

14. **निरसन एवं व्यावृति। –**

(i) अमीन के पदों के लिए कोई पूर्व संधारित संवर्ग नियमावली नहीं है। विभाग से नियुक्ति संबंधी पूर्व में निर्गत परिपत्रों/आदेशों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व के परिपत्रों/आदेशों के अधीन की गयी नियुक्ति विधिमान्य बनी रहेगी मानों वह नियुक्ति इस नियमावली के समुचित उपबंधों के अधीन की गयी हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः वन अरा०स्था०–25/2014 / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांकः

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः वन अरा०स्था०–25/2014 / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांकः

प्रतिलिपि–अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

2. इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः वन अरा०स्था०–25/2014 / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक :

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद् (सिपाही भर्त्ती), पटना/अध्यक्ष, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् (BCECEB) पटना/माननीय उप मुख्य (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः वन अरा०स्था०–25/2014 /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांकः

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः वन अरा०स्था०–25/2014 572/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांकः 17/2/2020

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/2/2020
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

VV Ashi.5

Government of Bihar
Department of Environment, Forest & Climate Change.

NOTIFICATION

No.-van. Ara. stha.-25/2014 /E,F & CC, Patna-15,Dated-

In exercise of the Powers conferred by the Proviso to Article-309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and other service conditions of the Amins in the Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Bihar :-

Short title, extent and commencement -(1) These Rules shall be called " Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Bihar Amin Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2020",

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar;

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions**–In these rules, unless there is anything contrary to the subject or context -

(i) "State Government" means the Government of Bihar;

(ii) "Cadre" means the Department of Environment, Forest & Climate Change, govt. of Bihar Amin cadre;

(iii) "The appointing authority" means the Chief conservator of Forests, Administration & HRD, Bihar, Patna;

(iv) "Cadre controlling Authority" means the Principal Chief Conservator of forests, Bihar, Patna;

(v) "Department" means the Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Bihar;

(vi) Examination Authority means the Bihar state selection Commission or Bihar combined entrance competitive Examination Board (BCECEB) or any other authority selected by the Department of Environment, Forest & Climate Change, Government of Bihar;

(vii) "Year" means the financial year i.e. from 1 April to 31 March of the next years.

(viii) "Vacancy within year" means the vacancy occurring on account of creation of new post, retirement, death, termination and discharge from service in a specific year;

3. **Constitution of the cadre – Constitution of Amin Cadre will be as follows:-**

Sl.NO.	Name of the Categories	Level
1	2	3
(A)	Amin (Non gazetted)	Bassic Category
(B)	Parimapak (Non gazetted)	Promotional Level

(i) The Pay scale, allowances and grade pay/Pay Level of the above posts shall be the same as may be fixed by the Government, from time to time.

(ii) Persons appointed and working in the said category prior to application of these Rules, shall automatically be deemed to be included in this cadre;

(iii) The State Government may, from time to time, increase or decrease the number of sanctioned strength or may keep any number or posts under adjourned position;

4. **Age- Limit** – the minimum age of the candidate for the post of Amin shall not be less than 18 years as on 1st of August of the year in which applications would be invite. The maximum age- limit shall be the same as may be fixed from time to time, by the Department of General Administration, Government of Bihar.

5. **Reservation** – The Provisions of reservation / roster as fixed from time to time by the State Government, shall be applicable to the appointment of this cadre.

6. **Appointment** – **(1)** Direct appointment to the post of Amin will be made on the basis of the recommendation obtained as per the result declared in the Examination conducted for the post of Amin by the Examination authority adding the obtain marks detrminecl for the experience.

(2) **(a)-** For appointment to the post of amin the candidate must have passed the intermediate (10+2) or any other equivalent from examination any recognized board/equivalent institution.

(b) Mark will be given to the experienced amin on the basis of experience, obtained for services in the state government. The maximum marks for experience will be 25 and 5 marks for each year will be given.

Provided that calculation of experience will be made as per the calendar year and more than six months of experience will be counted as one year and less than six months of one year will be counted as nil (zero) year."

(3) Applications received from candidates for direct appointment to the post of Amin shall be short-listed on the basis of marks obtained in the Intermediate or equivalent to Intermediate exam and experience obtained by Amins working under

State government on the basis of their experience, which will not be less than ten times of the total vacancy."

7. **Written syllabus for competitive examination – Syllabus for the written Competitive Examination :-** Competitive Examination of 75 marks will be held by the Examination Authority authorized for the selection to the post of Amin. There shall be one question paper having two parts in the Competitive Examination as follows :-

   (i) first Part-1 General knowledge, Current Affairs, general Science and General Hindi-50 marks.

   (ii) Second Part-2 General Maths-25 marks"

8. **Probation Period –**

   (i) Every Amin to be appointed against the basic vacant post shall be on probation for a period of two years from the date of joining.

   (ii) In case the conduct and service of a Amin is not found satisfactory after the completion of the probation period, the probation period may be extended for a further period 'of one year by the Government if it appears that there is a possibility of improvement in conduct and service. If the conduct and service is not found satisfactory even during the extended period of probation, his/her service may be terminated.

9. **Training** – It will be compulsory for the Amins to under go the trainings prescribed by the Government from time to time. If any examination is prescribed at the end of the training, it will be compulsory to pass the same.

10. **Departmental Examination and syllabus** – The determination of subject, syllabus and procedure of the departmental examination for the Amins and the examination will be conducted by the central examination committee, Board of Revenue in consultation with the department.

11. **Confirmation** – The Amin appointed on probation shall be eligible for confirmation in the service on expiry of the probation period subject to the following conditions :-

   (i) If any departmental examination has been prescribed the Government, he must have passed the said examination.

   (ii) He has received training to be prescribed, from time to time, and if any examination is fixed at the end of the training he would have passed the same.

   (iii) His conduct and his service have been satisfactory during this period.

12. **Seniority** – Determination of Seniority of the members of this cadre shall be in order of the merit list received from the Commission and subject to the principles and

procedure laid down by the Department of General Administration of the State Government and the Appointing authority, from time to time.

13. **Miscellaneous – (Control of works relating to establishment) –**

(i) All works relating to appointment of the members of this cadre and establishment shall be under the administrative control of the Chief Conservator of Forests, Administration and Human Resources Development, Bihar, Patna.

(ii) The appointment, posting, transfer, confirmation of service, maintenance of seniority list, and all matters relating to establishment of the members of this cadre shall be under the control of the Chief conservator of Forests, Administration and Human Resources Development, Bihar, Patna as the case may be.

14. **Saving and Repeal-**

(i) No previous cadre Rules for the post of Amin exists. Previous Circulars/Orders issued by the Department regarding appointment are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, appointment made under earlier Government circulars/orders shall remain valid as if they have been made under the relevant provisions of these rules.

By the order of Governor of Bihar
Sd/-
(Dipak Kumar Singh)
Principal Secretary to Govt.

Memo No.- van. Ara. stha.-25/2014- /E,F & CC, Patna-15,Dated:................

Copy to:-Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

Sd/-
(Dipak Kumar Singh)
Principal Secretary to Government

Memo No.- van. Ara. stha.-25/2014- /E,F& CC, Patna-15,Dated:...............

Copy to:-Under Secretary, e-gazette cell, finance Department, Bihar, Patna (along with C.D, and two hard copy) for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge at general public.

Kindly send 500 copies of special Gazette to the Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar, Patna.

Sd/-
(Dipak Kumar Singh)
Principal Secretary to Government

Memo No.- van. Ara. stha.-25/2014- (E)/E,F& CC, Patna-15,Dated:...............

Copy to:-Secretary to the Governor of Bihar/Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Advocate General, Bihar, Patna/Chief Secretary, Bihar/All Principal Secretary & Secretary/All Head of the Department/All Divisional Commissioner/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/Chairman, Central Selection Board for Constable, Patna/Chairman, Bihar combined entrance competitive Examination Board (BCECEB) Patna/Private Secretary to the Hon'ble Deputy Chief (Environment & Forest) Minister/ Private Secretary to Principal Secretary, Environment & Forest Department and Officers of Environment & Forest Department for information and necessary action.

Sd/-

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

Memo No.- van. Ara. stha.-25/2014- /E,F& CC, Patna-15,Dated:...............

Copy to:-Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/All Additional Principal Chief Conservator of Forest, Bihar, Patna/All Regional Chief Conservator of Forest/All Chief Conservator of Forest/All Conservator of Forest/All Divisional Forest Officer, for information and necessary action.

Sd/-

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

Memo No.- van. Ara. stha.-25/2014- 572 /E,F& CC, Patna-15,Dated: 17/12/2020

Copy to:-I.T. Manager, Environment, Forest & Climate Change Department, Bihar, Patna for uploading it on the Departmental at Website.

17/12/2020

(Dipak Kumar Singh)

Principal Secretary to Government

VV Ashi.10